7

संoसंo–2 / पेन–101 / 2024–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक / /2025

विषय : **डा० करण कुमार, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलपरास, मधुबनी के अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–8889(2)वि० दिनाक–24 12.1986 पत्रांक–1829(2)वि० दिनांक 07.04 2005 एव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के ज्ञाप सख्या–1609(25), दिनांक–05 09.2024 के आलोक में डा० करण कुमार, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलपरास, मधुबनी को उनके अवकाश खाते में सचित 300 (तीन सौ) दिनो के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) डा० करण कुमार का सेवानिवृत्ति की तिथि–31 10.2024 है।

(3) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलपरास, मधुबनी के पत्रांक–480, दिनाक–27 11 2024 द्वारा सूचित किया गया है कि डा० करण कुमार दिनाक–01 07 2019 से 31 10 2024 तक उपार्जित अवकाश का उपभोग नही किए है (छायाप्रति सलग्न)।

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध मे अपने स्तर से पूर्णत सतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० करण कुमार, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलपरास, मधुबनी के पक्ष मे 300 (तीन सौ) दिन के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलपरास, मधुबनी के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(शैलेश कुमार)

ज्ञापांक–2 / पेन–101 / 2024– 50 (2) पटना, दिनांक 10 / 01 / 2025

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलपरास, मधुबनी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी / डा० करण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलपरास, मधुबनी पत्राचार का पता–ग्राम+पो०+थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी, पिनकोड–847409 / प्रशाखा पदाधिकारी–03, 09 एव 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/1/25

सरकार के अपर सचिव।